10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

10 रु. Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES

(36)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्यप्रदेश

निगरानी क्रमांक /2017

श्रीमती लक्ष्मी देवी यादव पत्नी द्वारका प्रसाद यादव

निवासी रानीगंज मोहल्ला, पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 निगरानीकर्ता

बनाम्

श्रीमती मुन्नी देवी पति राजकुमार सोनी निवासी मोहल्ला

टिकुरिया पन्ना तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 अनावेदिका

निगरानी विरूद्ध श्रीमान् राजस्व निरीक्षक बृजपुर तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 के द्वारा राज0 प्र0क्र0 11/अ-12/रा.नि./15-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 9.12.2016 के विरूद्ध जिसमें श्रीमान् राजस्व निरीक्षक बृजपुर द्वारा बिना आराजी का नक्शा तरमीम के अबैधानिक व मनमाने रूप से सीमांकन आदेश पारित किया गया।

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

मान्यवर,

निगरानीकर्ता का निम्न विनय है :-

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य की आराजी खसरा नंबर 33/1 रकवा 4.047 हे0 स्थित मजरा किटहा ग्राम इटवाखास तहसील व जिला पन्ना म0प्र0 में स्थित है । उक्त भूमि निगरानीकर्ता द्वारा उसके पूर्व भूमिस्वामी रामेश्वर तनय रामसिंह भटनागर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र 15.10.2007 को क्रय कर स्वत्व व अधिपत्य प्राप्त किया था । निगरानीकर्ता के बगल से लगी आराजी खसरा नंबर 32 स्थित है, जिसको अनावेदिका सहित अन्य व्यक्तियों द्वारा क्रय किया गया है, किन्तु अनावेदिका एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा आराजी खसरा नंबर 32 के नक्शे में किसी प्रकार की तरमीम आज तक नहीं कराई गई है, निगरानीकर्ता के बगल से आराजी नंबर 32 के जुज हिस्से दक्षिण दिशा की ओर सरदार

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/पन्ना/भू.रा./2017/2619

लक्ष्मीदेवी विरूद्ध मुन्नीदेवी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक बृजपुर तहसील व जिला पन्ना के सीमांकन आदेश दिनांक 09-12-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 24-01-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 21.12.18 (आर.के. जैन) सदस्य	